

अनुबन्ध पत्र

लोकवाणी सचिव/अध्यक्ष सुलतानपुर एवं लोकवाणी केन्द्र संचालक श्रीपुत्रपता
. द्वितीय पक्ष के मध्य आज दिनांक को निम्नलिखित शर्तों के अधीन अनुबन्ध किया जाता है।

पक्ष-1

- 1- लोकवाणी द्वारा इण्टरनेट पर एक वेबसाइट स्थापित की गई है, जिसमें विभिन्न प्रकार की जनोपयोगी सूचनाएं एवं शासकीय योजनाओं के प्रारूप एवं विभिन्न भासकीय सेवाएं उपलब्ध हैं।
- 2- लोकवाणी सभी केन्द्र संचालकों को वेबसाइट पर यूजर आई0 डी0 एवं पासवर्ड प्रदान करेगी।
- 3- लोकवाणी समस्त सूचनाओं को अद्यावधिक करने के लिये सदैव किया गील रहेगी।

पक्ष-2

- 1- लोकवाणी केन्द्र संचालक को कम्प्यूटर केन्द्र स्वयं स्थापित करेगा, जिसके अनुरक्षण एवं संचालन हेतु आवश्यक उपकरणों को व्यवस्थित करने के लिये उत्तरदायी होगा।
- 2- स्वयं के केन्द्र स्थापना में लोकवाणी केन्द्र को लोकवाणी किसी भी प्रकार की वित्तीय सहायता प्रदान नहीं करेगी।
- 3- लोकवाणी केन्द्र संचालक के लिये यह अनिवार्य होगा कि वह अपना पंजीकरण लोकवाणी कार्यालय में करायेगा, जिसका पंजीकरण शुल्क रु. 2000.00 होगा। पंजीयन का नवीनीकरण प्रतिवर्ष कराना अनिवार्य है, जिसका नवीनीकरण शुल्क रु. 2000.00 होगा।
- 4- लोकवाणी का यह सर्वाधिकार सुरक्षित है कि वह किसी भी प्रकार की विसंगतियों के चलते लोकवाणी केन्द्र संचालक को 15 दिन की नोटिस देकर अनुबन्ध समाप्त कर देगी। ऐसा करने में लोकवाणी केन्द्र संचालक स्थापित नियमों के तहत लोकवाणी के विरुद्ध किसी भी प्रकार की वैधानिक कार्यवाही नहीं कर सकता।
- 5- जन सामान्य को वांछित सूचनाएं प्रदान करने के लिये लोकवाणी केन्द्र संचालक अपनी सेवायें उपलब्ध करायेगा। यदि लोकवाणी केन्द्र संचालक के विरुद्ध किसी भी प्रकार की िकायत प्राप्त होती है तो लोकवाणी स्तर से परीक्षण किया जायेगा। िकायत की पुष्टि हो जाने के उपरान्त आर्थिक दण्ड लोकवाणी केन्द्र संचालक पर लोकवाणी द्वारा लगाया जा सकता है।
- 6- विविध सूचनाओं एवं योजनाओं से सम्बन्धित जानकारी प्राप्त करने के लिये जन सामान्य एक नि िचत धनराशि लोकवाणी केन्द्र संचालक को प्रदान करेगा, जिसका निर्धारण लोकवाणी द्वारा किया जायेगा। तत्सम्बन्धी दर सूची लोकवाणी केन्द्र संचालक द्वारा लोकवाणी केन्द्र के सूचना पट्टिका पर जन सामान्य के अवलोकनार्थ अनिवार्य रूप से लगायी जायेगी।
- 7- पंजीयन का नवीनीकरण भुल्क परिवर्तित करने का अधिकार लोकवाणी के पास सुरक्षित है।
- 8- अनुबन्ध पत्र में दी गई शर्तों का अनुपालन किसी पक्ष द्वारा नहीं किया जाता अथवा अन्य किसी प्रकार का विवाद उत्पन्न होता है तो उसका निस्तारण जिला न्यायालय सुलतानपुर के अधीन होगा।
- 9- लोकवाणी केन्द्र संचालक अपने केन्द्र से प्रेशित प्रत्येक िकायत पर 2 रूपये भुल्क लोकवाणी- सुलतानपुर को भरा अदा करेगा। इस इस भुल्क की धरोहर राशि के रूप में प्रत्येक लोकवाणी केन्द्र संचालक 2000.00 रूपये अलग से अदा करेगा। जिसका समायोजन अनुबन्ध की समाप्ति/नवीनीकरण के समय किया जायेगा।

प्रथम पक्ष

द्वितीय पक्ष

गवाह नं. 1 (नाम, पता व हस्ताक्षर)

गवाह नं.-2 (नाम, पता व हस्ताक्षर)